न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 768 / 2023

अनवान : –

1. रोशनी देवी पुत्री बिशनाराम पत्नी रामप्रताप जाति छीपा (छीपी) निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री बिशनाराम पत्नी ओम प्रकाश जाति छीपा (छीपी) निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादीयान

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र बिशनाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र खीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. हनुमान पुत्र खीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 59 / 57 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381 / 172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 9329 / 284240 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण का भाई है तथा उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी बहिनों को भात दे दिया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कोहला तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30 / 28 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.897 है0 भूमि अलग से भूमि दर्ज है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि कोई हक हिस्सा शेष नहीं ब... हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के ख... खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि के खसरा नं. 248 की 0.4550 है0 भूमि पर वादीया संख्या ... काबिज है तथा खसरा नं. 99 की 3.5410 है0 भूमि में से 1.543 है0 भूमि पर वादीया संख्या 2 काबिज है शेष 1.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

998 है0 भूमि पर वादीया संख्या 1 काबिज है एवं खसरा नं. 84 की 7.778 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि में से 0.785 है0 भूमि पर वादीया संख्या 2 काबिज है शेष भूमि में वादीया संख्या 1 काबिज है वादीयान जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादीयान ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की वादीयान के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादीयान ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा नीमला खाता संख्या 59, 381 प्रदर्श 1 ता 2, रोही मौजा 16 एचएमएस खाता संख्या 30 प्रदर्श–3, पारिवारिका समझौता/राजीनामा प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित भूमि है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित होने के कारण पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीयान के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीयान के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर

के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 59/57 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 9329/284240 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीयान का कथन है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 59/57 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अपना नाम कलमजन करवाकर खसरा नं. 248 की 0.4550 है0 भूमि वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दे तथा खसरा नं. 99 की 3.5410 है0 भूमि में से 1.543 है0 भूमि पर वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दे तथा शेष 1.998 है0 भूमि वादीया संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दे एवं खसरा नं. 84 की 7.778 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम ब0 हि0 ब0 यथावत दर्ज करवा दे एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करवाकर 0.785 है0 भूमि वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज करवा दे वादीयान के कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है तथा पारिवारिक समझौता भी पेश किया गया है कि वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 59/57 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 248 की 0.4550 है0 भूमि वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 99 की 3.5410 है0 भूमि में से 1.543 है0 भूमि वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1.998 है0 भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 84 की 7.778 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रहन यथावत रहेगा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर 0.785 है0 भूमि का वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घो[illegible] जाता है तथा शेष भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घो[illegible] तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30/28 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल [illegible]97 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

यथावत रहेगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 768/2023

अनवान : –

1. रोशनी देवी पुत्री बिशनाराम पत्नी रामप्रताप जाति छीपा (छीपी) निवासी नीमला तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री बिशनाराम पत्नी ओम प्रकाश जाति छीपा (छीपी) निवासी नीमला तहसील नोहर।

– वादीयान

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र बिशनाराम जाति छीपा (छीपी) निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र खीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. हनुमान पुत्र खीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 768 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 59/57 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 11.7740 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 248 की 0.4550 है0 भूमि वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 99 की 3.5410 है0 भूमि में से 1.543 है0 भूमि वादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1.998 है0 भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 84 की 7.778 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रहन यथावत रहेगा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 381/172 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 28.4540 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर 0.785 है0 भूमि का वादीया संख्या 2 को खातेदा[illegible] जाता है तथा शेष भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार [illegible] तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30/28 के कुल खसरे 8 [illegible]97 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि [illegible] स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:34 IST
Reason: SelfAttested